उत्तर प्रदेश शासन
सैनिक कल्याण अनुभाग
संख्या–155 / 48–2018–14 (विविध) / 2017
लखनऊः दिनांक : 19 मार्च, 2018

आदेश

सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों / अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ।

2. उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शहीद सैनिकों / अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नवत् नियम / उप नियम / उपबन्ध एवं व्यवस्थायें विनिर्दिष्ट करते हैं –

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1. (क) यह आदेश 'उत्तर प्रदेश के मूल निवासी (Domicile) शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के संबध में कार्यकारी आदेश' के नाम से अभिज्ञात होगा ।

(ख) यह आदेश वर्ष 2017–18 के माह अप्रैल के प्रथम दिवस या उसके बाद के शहीद सैनिकों / अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में नियोजित करने के परिप्रेक्ष्य में लागू होगा ।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और अन्य पदों पर शहीदों के आश्रितों को सेवायोजित किया जायेगा किन्तु यह उन सेवाओं और पदों पर लागू नहीं होगा जो उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं।

परिभाषाएँ

2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आदेश के अन्तर्गत –

(क) शहीद (Battle Casualty) सैनिकों का तात्पर्य

सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित स्थायी / अस्थायी रूप से नियुक्त / कमीशण्ड आफीसर / सैनिक हैं जिनका कर्तव्य पालन के दौरान देश की सीमा पर अर्न्तराष्ट्रीय युद्ध, गोलावारी, बैटल एक्सीडेन्ट, सीमा पर छुट–पुट / आतंकवादी घटनाओं तथा अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा एवं वाहन दुर्घटना के दौरान शहीद हुये है।

अथवा

(ख) कर्तव्य पालन के दौरान बिन्दु (क) पर वर्णित घटनाओं के समय ऐसे लापता शहीद जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित किया गया हो ।

(ग) शहीद के आश्रितों के अन्तर्गत वरीयता कम में निम्नलिखित माने जायेंगे :–

(शहीद सैनिक के विवाहित होने की स्थिति में)

1. पत्नी / पति (जैसी स्थिति हो)
2. पुत्र / विधवा पुत्रवधू ।
3. अविवाहित पुत्रियॉ
4. कानून संगत दत्तक पुत्र / दत्तक पुत्रियॉ
5. पिता / माता

परन्तु उक्त आश्रितों के शारीरिक / मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित पौत्र / अविवाहित पौत्रियॉ आश्रित की श्रेणी में माने जाने जायेंगे।

(शहीद सैनिक के अविवाहित होने की स्थिति में)

1. पिता / माता
2. अविवाहित भाई
3. अविवाहित बहन
4. विवाहित भाई